महत्वपूर्ण एवं खास

स्वास्थ्य विभाग का आऊटरीच कैम्प आज

मंगल भवन, छोटे अतरमुड़ा में लगेगा कैम्प, डॉक्टर्स सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेंगे मौजूद

रायगढ़ । राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत शहरी क्षेत्रों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से प्रत्येक माह एक आऊटरीच कैम्प का आयोजन किया जाना है। उक्त निर्देश के परिपालन में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधी नगर जूटमिल क्षेत्र अंतर्गत मंगल भवन, छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ में 12 अगस्त 2021 को आउटरीच कैम्प का आयोजन प्रातः10.30 से सायं 5 बजे तक किया गया है। कैम्प में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.विनोद नायक, एमडी कम्युनिटी मेडीसीन डॉ.रविन्द्र चौरसिया, चिकित्सा अधिकारी डॉ.सुमित गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट डॉ.भावना, आर.एम.ए.श्री बी.एस.भोय, स्टाफ नर्स कु.रेणुका मानिकपुरी एवं श्रीमती चन्द्रकला साहू, लैब टैक्नीशियन नीरज यादव, फार्मासिस्ट श्रीमती प्रीति भगत, नेत्र सहायक अनुप पटेल, सुपरवाईजर शहरी क्षेत्र श्रीमती पुष्पलता पाणिग्राही, ए.एन.एम.कु.ईश्वरी पटेल एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद्मलोचन सिदार की ड्यूटी लगाई गई है।

विशेष रेल परियोजना : प्रभावित निजी भूमि के संबंध में सुनवाई 18 अगस्त को

रायगढ़ । विशेष रेल परियोजना के तहत रेल लाईन निर्माण में प्रभावित 0 से 74 कि.मी. पूरक (खरसिया से धरमजयगढ़) तथा 0 से 28 कि.मी.पूरक (घरघोड़ा से गारेपेलमा)के प्रभावित निजी भूमि को भारतीय रेल अधिनियम 1989 (संशोधित)के अनुसार अधिग्रहण बावत धारा 20 (ई)का प्रकाशन कराया गया है। इस संदर्भ में जिन कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है अथवा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना है एवं किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना हो तो वे स्वयं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा में 18 अगस्त 2021 पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यालयीन समय तक सुनवाई में भाग ले सकते है। सुनवाई हेतु प्रभावित गांव में अनुविभाग घरघोड़ा के 0 से 74 किमी.पूरक (खरसिया से धरमजयगढ़)तहसील घरघोड़ा-ग्राम-पुरी एवं कुडुमकेला एवं घरघोड़ा से डोंगामहुआ (0-28 कि.मी.)पूरक-।।। तहसील घरघोड़ा-ग्राम कसैया शामिल है।

जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित

रायगढ़ । प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना वर्ष 2020-21 के अंतर्गत कलेक्टर भीम सिंह की अध्यक्षता में 10 अगस्त 2021 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में समिति के समक्ष प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्राप्त 2 ऋण आवेदनों को विचारार्थ रखा गया। साक्षात्कार उपरांत 2 ऋण आवेदनों को बैंक शाखाओं को अग्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया। समिति की बैठक में उप संचालक कृषि, सहायक संचालक उद्यानिकी, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी रायगढ़, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला स्त्रोत व्यक्ति, सरपंच ग्राम पंचायत कापू, सरपंच ग्राम पंचायत सरवानी उपस्थित रहे।

अवैध परिवहन करते ट्रक में लोड 20 लाख का कबाड़ जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

» बैलूर(ओडिशा) और ऑटोनगर (विशाखापटनम) से लाई जा रही थी अवैध कबाड़

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन पर कोतवाली टीआई मनीष नागर व उनके स्टाफ द्वारा अवैध कबाड़ परिवहन पर कार्रवाई करने मुखबिरों के जरिये सूचनातंत्र मजूबत कर लगातार अवैध की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 10/08/2021 की रात्रि ऑटोनगर, विशाखापट्टनम तथा बैलूर ओडिशा से दो ट्रकों में करीब 25-25 टन का कबाड़ लोड होकर रायगढ़ के स्थानीय फैक्ट्री में अवैध रूप से खपाए जाने के लिए लाया जा रहा था जिसे ढिमरापुर के आगे नाकेबंदी कर पकड़ा गया। वाहन में करीब 20 लाख रूपये के कबाड़ लोड़ थे, जिसकी जप्ती कर दोनों वाहनों के चालक पर कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोतवाली मनीष नागर को दिनांक 10/08/2021 की रात्रि करीब 08 :00 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि कोतरारोड़ रेलवे क्रॉसिंग से पार होकर ईला माल के रास्ते ढिमरापुर की ओर दो ट्रकों में अवैध कबाड़ पूंजीपथरा की ओर जाने के लिये निकली है जिस पर थाना प्रभारी थाने से ढिमरापुर के आगे नाकेबंदी के लिये भेजे रात्रि करीब 08 :30 बजे दो ट्रकों को पकड़ा गया है। ट्रक क्रमांक एमएच-12-एफजेड- 9052 में एमएसपी स्क्रैप, छड़ के टुकड़े, पुराने वाहनों के बॉडी पाट्र्स लोहा का टुकड़ा आदि सामान रखा हुआ था। वाहन का चालक पठान आलम खान कबाड़ बेलूर उड़ीसा से लोड लेकर जामगांव के किसी फैक्ट्री में लेकर जाना बताया। चालाक पठान आलम के पास लोड कबाड़ के संबंध में कोई कागजात नहीं था जिस पर ढिमरापुर ओम साईं धर्मकांटा में वजन कराया गया ट्रक में करीब 24.700 मेट्रिक टन कबाड़ कीमती 10,00,000 रुपए लोड़ था।

वही दूसरे ट्रक क्रमांक एपी 27-टीडब्ल्यू-2259 के डाला अंदर भी भारी मात्रा में एमएस स्क्रैप, सरिया के टुकड़े, कुछ पुराने वाहनों के कटा हुआ पाटर्स, लोहा का टुकड़ा आदि लोड था। वाहन का चालक और वेंकन्ना ट्रक में लोड कबाड़ को ऑटोनगर विशाखापटनम से लेकर जामगांव फैक्ट्री में ले जाना बताया। चालाक ट्रक में लोड कबाड़ के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया है जिस पर वाहन का धर्म कांटा ढिमरापुर में वजन कराया गया, वाहन पर 24.242 मेट्रिक टन कबाड़ कीमती 10,000,00 रुपए भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार दोनों वाहनों में अवैध कबाड़ के चोरी होने के संदेह पर आरोपी 1-पठान आलम पिता अहमद खान उम्र 36 वर्ष निवासी आराडी तहसील व थाना सिल्लोड औरंगाबाद, मुंबई (महाराष्ट्र) तथा दूसरे वाहन चालक 2- आर. वेंकन्ना पिता श्रीरामलू 48 वर्ष निवासी दासरीविधी थाना साल्लूर जिला विजीनगर (आंध्र प्रदेश) के विरुद्ध इस्तगासा धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है। दोनों वाहनों को उर्दना पुलिस लाइन में सुरक्षित रखवाया गया है।

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के निर्देशन पर कार्यवाही में प्रधान आरक्षक शंकर सिंह क्षत्रि, संजय तिवारी, आरक्षक उत्तम सारथी, हेम सोन, विनोद शर्मा, अजय साय, मनोज पटनायक, पुष्पेन्द्र जाटवर की अहम भूमिका रही है।

पूंजीपथरा के पास 22 टन कबाड़ लोड ट्रक पकड़ाया

रायगढ़। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 11/08/2021 को सहायक उपनिरीक्षक आशिक रात्रे, आरक्षक भगवती प्रसाद रत्नाकर, विद्याधर सिदार, कल्याण सिंह द्वारा जिंदल पार्क पूंजीपथरा के पास नाकेबंदी कर ट्रक क्रमांक पी-36 टी-0489 को पकड़ा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि रायगढ़ की ओर से पूंजीपथरा जिंदल पार्क की ओर जा रही क्क पासिंग ट्रक में अवैध कबाड़ लोड़ है। पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा ट्रक के चालक मोहम्मद बादशाह को ट्रक में लोड़ अवैध कबाड़ जिसमें मशीनरी पाट्र्स, पाइप, लोहे के एंगल का टुकड़ा के संबंध में कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया। चालक मोहम्मद बादशाह वाहन में लोड़ कबाड़ के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया जिससे चोरी का माल होने के संदेह पर ट्रक का धर्म कांटा में वजन कराया गया जिसमें 22 टन कबाड़ कीमती 6,60,000 रुपए का लोड़ था। आरोपी मो. बादशाह पिता स्वर्गीय मो. जोहर उम्र 36 साल निवासी हिंदुस्तान लॉन्ड्री धमधा थाना बृजराजनगर जिला झाड़सुगुड़ा उड़ीसा से अवैध कबाड़ व वाहन ट्रक जुमला 16,60,000 रुपए की जब्ती कर वाहन को थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। वाहन चालक के विरुद्ध इस्तगासा धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा है।

कलेक्टर भीम सिंह रेल मार्ग से पहुंचे धरमजयगढ़

» रेलवे ट्रैक व प्लेटफॉर्म निर्माण से जुड़े कार्यों का किया निरीक्षण

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज खरसिया से धरमजयगढ़ तक रेल मार्ग से सफर कर कोल परिवहन के लिए तैयार ट्रैक का इंस्पेक्शन किया। इस दौरान ट्रेक निर्माण के प्रभारी अधिकारियों ने उन्हें ट्रेक के संबंध में पूरी जानकारी दी। बताया गया कि कोल परिवहन के लिए कारीछापर स्टेशन से खरसिया तक पहले एक लाइन थी, जिसे विस्तार कर डबल लाइन तैयार किया जा रहा है। इसका काम अगले 6 माह में पूरा होने जा रहा है।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि इस मार्ग पर कोयला परिवहन किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखकर सर्वे कराने की पहल की जाएगी। जिससे धरमजयगढ़ क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिल सके।

कलेक्टर सिंह ने खरसिया स्टेशन से टावर वैगन से धरमजयगढ़ तक का 74 किमी का सफर किया। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कारिछापर, कुडुमकेला और धरमजयगढ़ स्टेशनों में प्लेटफॉर्म में तैयार की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कारिछापर स्टेशन का निरीक्षण किया। यहां के प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज का अवलोकन किया। इस स्टेशन से कोल रैक में लोडिंग की जाती है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म में भी सुविधाएं विकसित की जा रही है, जिसके लिए निर्माण कार्य जारी है।

बेटे ने छल कर अपने पिता के खाते से ट्रांसफर किया 37.64 लाख रूपए

» बेटे व अन्य पर एफआईआर, अन्य लोगों के संलिप्तता की जांच जारी

रायगढ़। दिनांक 10/08/2021 को थाना चक्रधरनगर में ग्राम रेगड़ा निवासी हरिशंकर पटेल (उम्र 45 वर्ष) द्वारा उसके पुत्र विकास पटेल, गगन चौधरी व अन्य के विरूद्ध धोखाधड़ी कर उसके खाते से 37,64,436 रूपये का आहरण किये जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

पीड़ित बताया कि वर्ष 2017-2018 में कृषि भूमि का रेल्वे लाईन भू-अर्जन होने से जमीन का मुआवजा राशि 47,62,436 रूपये का चेक प्राप्त हुआ था जिसे एडीबी एसबीआई के बचत खाता जमा किया था , जिसमें 10 लाख रूपये सावधि खाता में जमा किया, जिसके पश्चात खाते में 37,64,436 रूपये शेष था। अपने खाते का एटीएम कार्ड एवं चेक बुक जारी करवाया था खाता खोलवाते समय पुत्र विकास पटेल भी साथ था जिसे एटीएम कार्ड का पिन कोड मालूम था। करीब 5-6 माह बाद पता चला कि विकास एटीएम कार्ड का उपयोग कर गगन चौधरी साकिन बनसिंया के खाते मे 10 लाख रूपये ट्रांसफर कर दिया है। तब गगन चौधरी के कहने पर 10 लाख रूपये जमा कर दिया था बताया। उसके बाद अपना एटीएम कार्ड बंद कर दिया और दूसरा एटीएम कार्ड जारी करवाया था जो मेरे पास है। कुछ दिन पहले अपने पासबुक इंद्राज कराने बैंक गया तब पता चला कि खाते में मात्र 254 रूपये बचा है। बैंक से जानकारी लेने से पता चला कि खाते से एटीएम कार्ड , मोबाइल नंबर के जरिये 37,64,436 रूपये आहरण हो गया है जो आहरण कैश में और गगन चौधरी तथा कई लोगों के खाते में ट्रांसफर हुआ है। बैंक में लडके विकास का मोबाइल नंबर दिया था, उसी मोबाइल नंबर से आनलाईन ट्रांसफर हुआ है।

विकास पटेल, गगन चौधरी के साथ अन्य लोग मिलकर खाते से 37,64,436 रूपये बिना जानकारी के आहरण कर धोखाधडी करने की शिकायत पर आरोपी विकास पटेल, गगन चौधरी व अन्य के विरूद्ध अप.क्र. 456/2021 धारा 420,34 आईपीसी दर्ज कर चक्रधरनगर पुलिस हर पहलुओं पर सूक्ष्मता से जांच कर रही है।

दूसरे की जमीन अपना बताकर किये लाखों का सौदा, हरियाणा के दंपत्ति पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

रायगढ़। शिकायतकर्ता नटवर रतेरिया पिता नंदकिशोर रतेरिया निवासी निदेशक परियोजना निर्माण प्रा.लि. सत्कार बिल्डिंग उर्दना चौक, वन नाका के पास रायगढ़ द्वारा दिनांक 10/08/2021 को थाना कोतवाली में श्रीमती लता अग्रवाल एवं उसके पति राजेन्द्र अग्रवाल के विरूद्ध रूपये लेकर धोखाधड़ी कर भूमि का विक्रय नहीं करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

रिपोर्टकर्ता बताया कि वर्ष 2019 में गुरूग्राम (हरियाणा) में रहने वाली महिला लता अग्रवाल पति राजेन्द्र अग्रवाल एवं राजेन्द्र अग्रवाल पिता स्व. देवीदत्त अग्रवाल के द्वारा विश्वास दिलाकर कि ग्राम - बड़वा , तहसील व जिला नूह (हरियाणा) में उसके स्वामित्व की भूमि रकबा 5 कनाल , 5 मरला को बेचने का सौदा किया गया। दिनांक 05.12.2019 से लेकर 16.12.2019 तक रायगढ़ स्थित बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रायगढ़ के बैंक एकाउन्ट से किश्तों में कुल 21,00,000 / - जमीन विक्रय के नाम पर दोनों पति-पत्नी प्राप्त कर चुके हैं। जमीन रजिस्ट्री के लिये शिकायतकर्ता हरियाणा भी अपने खर्च पर गया परन्तु वे टालमटोल करते रहे दिनांक 24.02.2020 को रजिस्ट्री कराने के लिए शपथपत्र निष्पादित किये परन्तु रजिस्ट्री नहीं कराये। उसके बाद दिनाक 21.01.2021 को लता अग्रवाल बोली कि जिन जमीनों का उसे पैसा दिया गया है, वह जमीनें उसके नाम पर ही नहीं हैं इसलिये वह इसकी रजिस्ट्री नहीं करेगी एवं पैसा भी वापस नहीं करेगी। शिकायतकर्ता के लिखित आवेदन पर अप.क्र. 1127/2021 धारा 420 आईपीसी लता अग्रवाल पति राजेन्द्र अग्रवाल दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, शीघ्र कोतवाली पुलिस से पुलिस पार्टी आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए रवाना होगी।

रिटायर्ड टीचर के घर हुए चोरी के मास्टर मांइड पंजाब से गिरफ्तार

» मुख्य आरोपी के दो साथियों को सक्ती में किया गया गिरफ्तार

» आरोपियों से चोरी में प्रयुक्त बाइक समेत 5 लाख रूपए की सम्पति बरामद

» अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिये बनाई गई थी पुलिस की चार टीमें

रायगढ़। रायगढ़ एसपी अभिषेक मीणा के कुशल मार्गदर्शन पर खरसिया पुलिस को ग्राम खोरसीपाली में रिटायर्ड टीचर के घर हुई चोरी के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 100 प्रतिशत चोरी के माल बरामदगी करने में सफलता हासिल हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रायगढ़ द्वारा एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, एसडीओपी खरसिया, थाना प्रभारी खरसिया, सायबर सेल स्टाफ के साथ शीघ्र माल मुल्जिम की पतासाजी के लिये चार टीमें गठित कर उन्हें अलग-अलग टास्क दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे दिशा निर्देशन पर खरसिया पुलिस लगातार संदिग्धों की धरपकड़ में लगी रही जिससे इस दरम्यान 18 संदिग्ध पकड़े गये जिससे नये, पुराने 11 चोरी/नकबजनी के मामलों का खुलासा हुआ, साथ ही लाखों की मशरूका की बरामदगी हुई।

इन मामलों के निकाल के साथ ही खरसिया पुलिस ग्राम खोरसीपाली में हुई चोरी के अज्ञात आरोपियों की पता तलाश में लगाये मुखबिरों से निरंतर सम्पर्क में थी। वारदात के बाद संदिग्धों से पूछताछ में पुलिस को वारदात में पूर्व चोरी की घटनाओं में शामिल अमृत लाल पटेल निवासी सरवानी, सक्ती के विषय में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, इसका आभास संदेही अमृत पटेल को भी हो चुका था जो वारदात के बाद से अपने घर से फरार था, तब पुलिस का संदेह और पुख्ता हुआ। अमृत पटेल पूर्व में चोरी के 4 मामलों में जेल गया था।

मामले के हर दिन की विवेचना, अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जानकारी ले रहे एसपी अभिषेक मीणा द्वारा संदेही अमृत पटेल की शीघ्र गिरफ्तारी के लिये थाना प्रभारी खरसिया को अपनी टीम लेकर संदेही के लोकेशन पंजाब प्रांत के पठानकोट रवाना होने का निर्देश दिये। थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक सुमंत राम साहू के नेतृत्व में एक टीम पठानकोट रवाना हुई। खरसिया पुलिस पठानकोट के स्थानीय पुलिस को लेकर संदेही की पतासाजी की गई, पठानकोट बार्डर के पास घेराबंदी कर संदेही अमृत पटेल को पकड़ा गया, जिसे सुरक्षापूर्वक पुलिस टीम खरसिया लाई। संदेही अमृत पटेल से पूछताछ में उसने दिनांक 19-20/07/2021 के दरम्यानी रात्रि ग्राम खोरसीपाली में अपने दो साथी योगेश पटेल निवासी सकरैलीकला सक्ती, श्यामलाल चौहान उर्फ मिथुन निवासी बगुबडूवा सक्ती के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी से मिली जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम सक्ती रवाना होकर अन्य दो आरोपियों को उसके सकुनत से हिरासत में लेकर थाने लाई। दोनों आरोपियों द्वारा अमृत पटेल के साथ वारदात में शामिल होना स्वीकार किये हैं।

मुख्य आरोपी अमृत पटेल बताया कि खोरसीपाली ईटभट्ठा में काम करने वाले मजदूर उपलब्ध कराया था, इसका वहां लगातार आना-जाना था, इस दरम्यान उसने रिटायर्ड टीचर नीलकंठ पटेल के घर चोरी का प्लान बनाकर इसमें ईट भट्टा में काम करने वाले दो मजदूर योगेश पटेल और श्यामलाल चौहान को चोरी में शामिल किया। तीनों पल्सर बाइक से चोरी को अंजाम देने आये थे और चोरी के बाद अमृत पटेल बटवारे में योगेश पटेल को दो जोड़ पायल नकदी रकम और एक लेडिस पर्स तथा श्यामलाल चौहान को एक जोड़ पायल नकदी रकम दिया और शेष सोने-चांदी के जेवरात, सोने के बिस्किट, एक लेडिस पर्स को अपने पास रखा था जिसे अपने बकरी कोठा के नीचे जमीन पर गाड़ दिया था। पुलिस टीम तीनों आरोपियों के मेमोरेंडम पर चोरी गये जेवरात, नकदी की बरामदगी एवं ताला तोड़ने में प्रयुक्त एक गैंती की जप्ती की गई है। घटना के संबंध में थाना खरसिया में दर्ज अप.क्र. 441/2021 धारा 457,380 आईपीसी + 34 आईपीसी में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

चोरी की वारदात के खुलासे में थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहू, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी राठौर, आरक्षक विशोप सिंह, प्रदीप तिवारी, राजेश राठौर, मुकेश यादव, किशोर राठौर की अहम भूमिका रही है।

आरोपियों से जब्त की गई चोरी की संपत्ति-

(1) अमृत लाल पटेल पिता रामलाल पटेल उम्र 32 साल निवासी सरवानी थाना सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से एक मोटर सायकल पल्सर सीजी 13-एएच-6660 कीमती 80,000 रुपए, सोने का मंगलसूत्र+कान का टॉप 50 ग्रा. 2.30 लाख रूपये, सोने का मंगलसूत्र+लॉकेट+10 नग दाना 15 ग्रा. 69,000 रुपए, सोने का बिस्किट 10 ग्रा. 48,000 रुपए, सोने का अंगूठी 5 ग्रा. 23,000 रुपए, सोने का सुई-धागा कान में पहनने वाला 5 ग्रा. 23,000 रुपए, एक लेडिस पर्स।

(2) योगेश पटेल पिता पंचुराम पटेल उम्र 26 साल निवासी सकरैलीकला थाना सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) से दो जोड़ी पायल, एक लेडिस पर्स, दो जोड़ चांदी का बिछिया।

(3) श्यामलाल चौहान उर्फ मिथुन पिता जेठूराम चौहान उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बगुबडूडा थाना सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा से एक जोड़ी पायल, एक जोड़ चांदी का बिछिया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480